

सरकार

बनाम श्री

शिवकरण, शुभकरण व अरुण

12.6.17

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 में पटवारी हल्का वीरठ
 ने रिपोर्ट पेश की है कि श्री शिवकरण, शुभकरण पुत्र श्री आशाशास
 जाति जाट निवासी वीरठ ने सरहद मौजा वीरठ
 के ख. न. 339 रकबा 0.79 हॅं किस्म गैर मुंगारा संवत् 2074
 में नाजायज कब्जा/काश्त कर लिया है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर भू राजस्व
 अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर सायल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज रजिस्टर
 किया जाकर गैर सायल को नोटिस जारी किया जावे। मिसल दिनांक 27.6.17
 बेमुकाम मेड़ता पेश हों।

तहसीलदार, मेड़ता

27.6.17

आशाशास पेश हुई। गैर सायल शिवकरण, शुभकरण, अरुण
 अरुण उपस्थित।

भापसे के वरुण सिद्धिपति TRAI प्रकार है कि पटवारी हल्का
वीरठ ने गैर सायल कब्जा के लिए लल्लापिते रिपोर्ट पेश की
 है कि शिवकरण, शुभकरण, अरुण व अरुण पिते
आशाशास जाति जाट निवासी ने मौजा वीरठ के
ख. न. 339 रकबा 0.79 हॅं किस्म गैर मुंगारा पर
कच्ची कृषि के कामों कर सर्वेक्षण करवाया है।

इस पर गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 TRAI
 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किए गए।
गैर सायल तारीख पेश कर उपस्थित हुए लेकिन कोई
 जवाब पेश नहीं किया। अरुण के C.S.

इस पर गैर सायल को मुताना मुक्ति
 पर अतिरिक्त किया जाकर मौके से नोटिस रद्द
 से वैधता मिले जाने के आदेश दिए जाते हैं। एवं मुताना
 मुक्ति पर अतिरिक्त हेतु लगात 9.48 का रू शुल्क ले

रूप में 475/- सर्पकंड आरोपित किया जाता है।

नं. 2017-18 हफ्त 474
 नं. 4 के व. 18 त. 79 पर दर्ज की

Genesh Dan शुभकर दाखिले दफ्तर है। जिल्ल फैनल

तहसील राजस्थान सरकार के कार्यालय

तहसीलदार, मेड़ता